147,11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। केन्द्रीय सरकार समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए अनुदान सहायता देकर राज्यों के संसाधनों को बढ़ाती है। 1980-84 की अवधि दौरान आरम्भ में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को अनुदान सहायता के रूप में 541.44 करोड़ रुपये दिये गये थे। इसके अतिरिक्त 1984-85 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को 240,00 करोड़े रुपये की राशि का नियतन किया गया है। प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 1983-84 के दौरान राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को 66.11 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी। इसके अलावा 1984-85 के दौरान सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को इस योजना के अन्तर्गत 50 करोड़ रुपये की धनराशि दिये जाने की भी सम्भावना है।

अन्तर्राष्ट्रीय जल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 1991 तक शतप्रतिशत ग्रामीण शहरी जनसंख्या को पेय जल पूर्ति मुहैया कराये जाने की आशा की जाती है।

(ख) पता लगाने गये 2,30,784 समस्याग्रस्त ग्रामों में से 151,797 ग्रामों को 1983-84 तक लाभन्वित कर दिया गया है 1984-85 के लिए 41,859 ग्रामों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। इस लाभान्वयन में रेगिस्तानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ समस्याग्रस्त ग्राम शामिल हैं। तथापि, क्रियात्मक कठिनाइयों व वित्तीय दबाव के कारण सम्पूर्ण रेगिस्तानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों को पेय जल पूर्ति मुहैया कराने पर कुछ और समय लग सकता है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में पेय जल पूर्ति के लिए किए जाने वाले प्रावधानों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि अन्तराष्ट्रीय जलपूर्ति तथा स्वच्छता दशक के लिए राष्ट्र सम्मत लक्ष्यों को देखते हुए संसाधनों की सम्पूर्ण उपलब्धता तथा तत्सम्बन्धी प्राथमिकताओं को देखते हुए इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जायेगा। पेयजल पूर्ति कार्यक्रम को पर्याप्त प्राथमिकता देते हुए सिंचाई तथा विद्युत के लिए उच्चतर प्राथमिकता देने पर तभी निर्णय किया जा सकता है जब सातवीं योजना को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा किया गया अनुसंधान

2175. **श्री वृद्धि चन्द जैन :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसधान संस्थान, जोधपुर द्वारा वृक्षों, पौधों, कृषि आदि के बारे में किए गए अनुसंधान की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और क्या इस संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ख) अनुसंधान की उपलब्धियों से रेगिस्तान के क्षेत्रों के किसानों को राजस्थान सरकार के सहयोग से क्या लाभ पहुंचा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर ने शुष्क बागवानी आश्रय पट्टी की स्थापना, रेत के टीले को मजबूत बनाना, वनरोपण तथा पेड़ लगाना, फसल-उत्पादन में सुधार व उसे मजबूत बनाना, पानी को इकट्ठा करना,

सौर ऊर्जा का उपयोग, सिचाई के लिए खारे पानी का उपयोग तथा हानिकारक कीट नियंत्रण आदि के क्षेत्र में असाधारण अनुसंधान किया है।

जी हां, श्रीमान्। विस्तृत विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित की गयी शुष्क भूमि प्रौद्योगिकी को निम्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा है।

1. परिचालनात्मक अनुसंधान प्रायोजनाएं

जोधपुर के निकट 5 गांवों की एक यूनिट में शुष्क भूमि प्रबंध तथा छिड़काव वाली सिचाई के ऊपर दो परिचालनात्मक अनुसंधान प्रायोजनाओं को शुरू किया गया है।

(ii) प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम

प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार के अधिकारियों के सहयोग से ग्रामीण समाज के निचले वर्ग से सम्बन्धित 200 परिवारों को लिया गया है। चुने हुए किसानों के खेतों तथा प्रशिक्षण स्थलों व संस्थान के स्तर पर शुष्क भूमि प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(ii) किसान मेला व क्षेत्र दिवस

किसानों को नयी शुष्क क्षेत्र प्रौद्योगिकियों से अवगत करवाने के लिए यह संस्थान खरीफ और रबी दोनों मौसमों के दौरान केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर और बीकानेर व पाली में स्थित इसके क्षेत्रीय केन्द्रों में इन कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

(v) प्रशिक्षण

इस संस्थान के द्वारा समय-समय पर राजस्थान राज्य सरकार के क्षेत्र-कार्यकर्त्ताओं को अद्यतन प्रौद्योगिकियों से अवगत करवाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अपनाया जा रहा है।

(iv) बीज और पौधों का वितरण

राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में अब तक वृक्ष प्रजाति के 4, 18, 460 पौधे और 18.07 टन बीज तथा 36.06 टन घास प्रजातियों के बीज किसानों और विकास विभागों में वितरित किए गये हैं।

(vi) सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन.आर.ई.पी.) तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय कृषि बैंक (एन.ए.बी.आर.डी.) नामक दूसरे कार्यक्रमों के माध्यम से भी केंशु.क्षे.अ.सं. द्वारा चलाई गयी प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है।

(vii) राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार ने भी निम्न विभागों की स्थापना की है।

(क) रेगिस्तान विकास परिषद (ख) रेगिस्तान वनरोपण तथा चरागाह विकास से लिए एक अलग विभाग।

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान अपनी विकसित उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रचार प्रसार के लिए उक्त राज्य विभागों के निकट सम्पर्क में है।

केन्द्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा वृक्ष, पौधों व कृषि पर किये गये अनुसंधान की विस्तृत उपलब्धियां।

संस्थान की मुख्य उपलब्धियां निम्न हैं—

1. **बहुविधाई समन्वित सर्वेक्षण**

इस विषय पर 1960 में सी.ए.जेड. आर.आई. ने सर्वेक्षण किया। इसमें 93,500 किलोमीटर के दो शुष्क क्षेत्र देश में निकले। यहां नियोजन और प्रबंध आवश्यक है।

2. **रेगिस्तान में वन लगाने की तकनीक**

रेगिस्तान में पशुपालन के साथ उत्पादकता सुधार तथा शुष्क क्षेत्रों का सुधार करने की तकनीक सी.ए.जेड.आर.आई ने निकाली। अनेक देशी और विदेशी किस्म के पौधे उड़ती रेत को रोकने के लिए चुने गए। निवास पर पौधे लगाना और रक्षक पंक्ति लगाने की सिफारिश की गई।

3. **रेत के टीबों को स्थिर करना**

एक हजार हेक्टर में सी.ए.जेड.आर. आई. ने रेत के टीबों को स्थिर करने की तकनीकों का प्रदर्शन किया।

4. **सड़क के किनारे वृक्षरोपण**

सड़क के किनारे वृक्ष रोपण के लिए तकनीकें विकसित की गई हैं तथा इनका मानकीकरण किया गया है। इस तकनीक को अपनाने से केन्द्रीय मरू भूमि अनुसंधान संस्थान ने मार्ग हवा अवरोधक के रूप में सड़क के किनारे 200 कि. मीटर वृक्ष रोपण का विकास किया है तथा उन्हें राज्य सरकार के हवाले कर दिया है।

5. **छायावाला क्षेत्र**

छाये वाले क्षेत्र तथा हवा अवरोधक को बढ़ाने हेतु तकनीकें विकसित की गई हैं तथा इनको मानकीकृत किया गया है। इस तकनीक को अपनाने से केन्द्रीय मरू भूमि अनुसंधान संस्थान ने कृषि फसलों के संरक्षण के रूप में केन्द्रीय यांत्रिक फार्म, सूरतगढ़ में पहचानी गयी उपयुक्त किस्म की छाये वाली बेल्ट 95 कि. मीटर में स्थापित की है।

मरु क्षेत्रों में वायवीय बुआई की सम्भाव्यता

दो स्थानों यानी सरदारपुरा (300 हेक्टेयर) तथा मोतीगढ़ (400 हेक्टेयर) में वायवीय बुआई के बीजों के मिश्रण का काम हाथ में लिया गया है। वायवीय बुआई की सम्भावना ने जड़ पकड़ ली है तथा राज्य वन विभाग द्वारा राजस्थान नहर के बांये किनारे पर बामी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वायवीय बुआई के लिए इसका बड़ा व्यावहारिक महत्व है।

7. **चरागाह/ रेंजलैन्ड प्रबन्ध**

बिगड़ती हुई रेंज भूमियों के सुधार हेतु चारे और बीज के उत्पादन के उद्देश्य से चरागाहों में बीजों की गोलियां बनाकर दोबारा बीजाई की तकनीकों का विकास किया गया है। चारे के घास की स्थाई फसलों में मूंग और लोबिया जैसी वार्षिक